फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

संतोष बनाम कमली वगै0

किस्म मुकदमा–दावा मु0नं0– 15/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किए जा चुके है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दावा सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रावली में उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए है जो नियमानुसार एवं सही है इसलिए पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादीगण की ओर से भी विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव सही होना जाहिर किया है। इसलिए पत्रावली में अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः पत्रावली में तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक एल.आर./2025/796 दिनांक 17.03.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार सिकराय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तकास्मा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)